न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 519/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1137/2026]

[CNR No. UPFZ010033612026]

1. नितीश सोनकर पुत्र मानिक चन्द्र सोनकर,
2. रिंकू उर्फ टिंकू सोनकर पुत्र परशुराम सोनकर,

निवासीगण वजीरगंज केवटहिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 519/2026, मुकदमा अपराध संख्या 266/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 125 भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। प्रस्तुत मामले में उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उनके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। कथित दिनांक की घटना के सन्दर्भ में उनकी तरफ से वादी पक्ष के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 267/2026 के अन्तर्गत क्रास केस पंजीकृत है। वे दिनांक 19.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। वे जमानत देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अमरजीत निषाद दिनांक 17.05.2026 को रात्रि करीब 10.30 बजे अपने घर के सामने अपने साथी रोहित निषाद, मोहित निषाद एवं मामा आशाराम निषद के साथ रोड पर बैठे हुये थे, तभी नितीश सोनकर, सतीश सोनकर, लकी सोनकर, रिंकू सोनकर आकर उन लोगों को गाली देने लगे, जब उन लोगों

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:54:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा मना किया गया तो विपक्षीगण जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। शोर पर मंगल प्रसाद, अनुराम निषाद, शालू निषाद, रोमा निषाद, प्रभावती आकर बीच बचाव करने लगे तो विपक्षीगण द्वारा उन्हें भी मारा पीटा गया।

8. कथित दिनांक को घटित घटना में उभयपक्ष को चोटें आना एवं उभयपक्ष की तरफ से एक दूसरे के विरूद्ध क्रास केस पंजीकृत कराया जाना अभिकथित है। घटना में अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका होना दर्शित नहीं है। मामले में विवेचना प्रचलित है। इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कथित घटना में कौन सा पक्ष आक्रामक था। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 19.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 519/2026, मुकदमा अपराध संख्या 266/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 125 भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000–50,000 (पचास–पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 05.06.2026